क्या नजीर बनेगी असांजे की गिरफ्तारी

मिशेल गोल्डबर्ग

© The New York Times 2019

हैकिंग के लिए जूलियन असांजे को सजा मिलनी ही चाहिए। पर आरोपपत्र में खबरें इकट्ठा करने की उनकी प्रक्रिया को जिस तरह आपराधिक माना गया है, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। ऐसे तो गोपनीय सामग्री प्रकाशित करने के कारण भविष्य में किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार किया जा सकता है। असांजे के खिलाफ दायर आरोपपत्र भविष्य के लिए एक खतरनाक नजीर है।

विगत नवंबर में संघीय अभियोजकों ने अचानक एक अदालती दस्तावेज में यह भेद खोला कि विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे के खिलाफ अभियोगपत्र दायर किया गया है। नागरिक आजादी के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोग यह जानकर आशंकित हो गए कि अमेरिकी सरकार के रहस्य सार्वजनिक करने के कारण असांजे को सजा हो सकती है। द *अटलांटिक* में मशहूर वकील ब्रेडली मोस ने लिखा, 'अगर सिर्फ गोपनीय दस्तावेज लीक करने के जुर्म में असांजे को सजा हो सकती है, तो मीडिया से जुड़ी हर संस्था पर दंडित होने का खतरा है।' तब लोगों को पता नहीं था कि असांजे पर क्या आरोप हैं। अब जब उन्हें लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास से गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका प्रत्यर्पित करने की तैयारी है, तब लोगों को उनके अपराध के बारे में पता है। उन पर कंप्यूटर हैक करने की साजिश रचने का आरोप है। करीब एक दशक पहले की उनकी उस कोशिश से सैन्य खुफिया विश्लेषक चेलेसा मैनिंग को सरकारी कंप्यूटर का पासवर्ड जानने में मदद मिली थी। हालांकि असांजे पर लगा यह आरोप फ्री प्रेस के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि हैकिंग पत्रकारीय पेशे से जुड़ा काम नहीं है। 'असांजे पर अगर कोई आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने का आरोप लगाया जाता, तो वह ज्यादा चिंताजनक होता', बेन विज्नर कहते हैं, जो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के निदेशक हैं। इसके बावजूद हमें ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग के इरादों के मामले में चिंतित होना चाहिए। असांजे के खिलाफ दायर अभियोग पत्र भविष्य के लिए एक खतरनाक नजीर है।

मेरे मन में असांजे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वह इतने घिनौने व्यक्ति हैं कि स्वीडन में एक महिला ने उन पर यौन संबंध बनाने के लिए हमला करने का आरोप लगाया, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक दूतावास की शरण ली। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने उस रूसी खुफिया एजेंसी के जासूस के तौर पर काम किया, जिसने कई शीर्ष डेमोक्रेट्स के ई-मेल हैक किए। असांजे ने ही यह अफवाह फैलाई थी कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी में काम कर रहे सेट रीच ने साजिश के तहत वे ई-मेल लीक किए थे। जबकि असांजे को पता था कि यह सच नहीं है। सूचनाओं के मामले में असांजे की अराजकतावादी छवि थी। पर ट्रंप को राष्ट्रपति बनने में मदद कर उन्होंने खुद

के अधिनायकवाद समर्थक होने का भी सुबूत दिया।

इसलिए असांजे को जेल तो जाना ही चाहिए। पर चिंताजनक यह है कि उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र में खबरें इकट्ठा करने की प्रक्रिया को भी आपराधिक साजिश के तौर पर देखा गया है। पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन ने असांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का फैसला लिया था। न्याय विभाग के पूर्व प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस सिलसिले में द *वाशिंगटन पोस्ट* को 2013 में बताया था कि गोपनीय सूचनाएं प्रकाशित करने के कारण असांजे को तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि इसी जुर्म में दूसरे पत्रकारों को जेल न भेजा जाए। पर पिछले बृहस्पतिवार को मैथ्यू मिलर ने मुझे बताया कि ओबामा प्रशासन द्वारा असांजे के खिलाफ मुकदमा न चलाने के कई कारण थे। तब इक्वाडोर असांजे के प्रत्यर्पण के मामले में उतना उत्सुक नहीं था। मिलर मानते हैं कि असांजे पर लगे हैकिंग के आरोप सही हैं, पर वह कहते हैं, 'यह दुनिया का सबसे मजबूत मुकदमा नहीं है।'

हालांकि मैनिंग द्वारा लीक की गई सूचनाएं सार्वजनिक करने के कारण अमेरिकी न्याय विभाग असांजे के खिलाफ कार्रवाई करने का मन काफी समय से बना रहा था। यह राहत की बात है कि न्याय विभाग ने पत्रकारों के विशेषाधिकार पर सीधे हमला बोलने के बजाय असांजे पर आरोप तय किए। पर अभियोगपत्र को गौर से देखने पर हम पाते हैं कि असांजे को उन कामों के लिए दोषी ठहराया गया है, जो पत्रकार अक्सर करते हैं। मसलन, उसमें कहा गया है कि मैनिंग से गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करते हुए असांजे ने मैनिंग का नाम सामने न आने देने की कोशिशें कीं। अपने स्रोत को गोपनीय बनाए रखने की कोशिश तो दुनिया का हर पत्रकार करता है। अभियोगपत्र में आगे कहा गया है कि असांजे ने साजिश के तहत मैनिंग को अमेरिकी विभागों और एजेंसियों से और गोपनीय जानकारियां लाने को प्रोत्साहित किया। व्हिस्ल ब्लोअर्स को गोपनीय जानकारियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पत्रकार भी ऐसा करते हैं।

असांजे ने शायद सोचा होगा कि चुनाव में ट्रंप की मदद करने से खुद उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। जैसा कि जुलिया आईओफी ने 2016 में द *अटलांटिक* में खुलासा किया था कि विकीलीक्स ने ट्रंप जूनियर के सामने प्रस्ताव रखा था कि ट्रंप असांजे को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाएं। ट्रंप के एक सलाहकार रोजर स्टोन ने भी पहले यह खुलासा किया था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद असांजे को माफी देने की योजना पर भी विचार हुआ था। पर दूसरे कुछ लोगों की तरह अब असांजे को भी एहसास हुआ होगा कि ट्रंप के लिए काम करने से जीवन बर्बाद हो सकता है। अलबत्ता असांजे को मिली सजा पर खुश होने से पहले सोचना चाहिए कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे भविष्य में दूसरे लोगों पर भी लगाए जा सकते हैं।

आंबेडकर आज अधिक प्रासंगिक

श्यौराजसिंह बेचैन

प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय

आज जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के वोट पड़ चुके हैं, और सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार नई सरकार बनने का आधार तैयार हो रहा है, तब हमारे संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर का 128 वां जन्मदिन सरकारी और खासकर गैरसरकारी स्तरों पर बड़ी ही धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। हर दल आंबेडकर के सपनों का भारत बनाने, उन्हें सम्मान देने-दिलाने के बढ़-चढ़कर दावे कर रहा है। यह चिंताजनक है कि विगत वर्षों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति का काम संविधान की कल्याणकारी भावना और प्रस्तावना के प्रतिकूल ही हुआ है। आंबेडकर पर करम और दलितों-आदिवासियों व कमजोर वर्ग पर सितम आंबेडकर का अपमान करने जैसा ही है।

चुनाव के मद्देनजर यह ध्यान देने की बात है कि आजादी मिलने के साथ ही भारतीय समाज में समतामूलक बुनियादी सुधार चाहने वाले डॉ. आंबेडकर ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए खूनी क्रांति का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने बुलेट के बजाय बैलेट को अपनाया। मुक्ति के लिए ज्ञान का संबल उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था। इसीलिए वह शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाना चाहते थे।

सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, उनके कामकाज आंबेडकर की अपेक्षाओं के उलट निकल रहे हैं, फिर चाहे वह गरीबों की गरीबी ओर अमीरों की अमीरी में बेतहाशा वृद्धि होने के रूप में हो या गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में रोड़े बिछाए जाने की कोशिशें हों।

उन्होंने चुनी हुई सरकारों से अपेक्षा की थी कि वे संविधान की प्रस्तावना में किए जा रहे संकल्प के अनुकूल काम करेंगी। स्त्री-पुरुष सभी को मत का समान अधिकार दिलाकर, अमीर-गरीब, सवर्ण-दलित सभी के मत का समान महत्व निर्धारित कर सरकार बनाने-बदलने की शक्ति तो जन सामान्य के हाथों में दे दी गई, पर धन की प्रमुखता बने रहने तथा उसके स्रोतों का लोकतांत्रीकरण न होने के अपने नुकसान भी हैं। मसलन, एक सामान्य व्यक्ति अपना वोट दे तो सकता है, पर अत्यधिक खर्चीली चुनाव प्रक्रिया के चलते खुद चुनाव नहीं लड़ सकता। आरक्षित पदों से भी वही प्रतिनिधि आ पाते हैं, जो चुनाव में अतिरिक्त धन का निवेश कर पाते हैं। और फिर वे भी धनी वर्ग से आनेवालों की तरह रिटर्न हासिल करने के उपक्रम में लग जाते हैं। डॉ. आंबेडकर ने तो ऐसी कल्पना नहीं की होगी। यह चिंताजनक है कि सरकारें डॉ. आंबेडकर के सपनों को लगातार तोड़ती जा रही हैं। वे संविधान में लगातार संशोधन कर उसकी आत्मा को कमजोर कर रही हैं। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, उनके कामकाज आंबेडकर की अपेक्षाओं के उलट निकल रहे हैं।

इस प्रतिकूल दौर में आंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल बनाया और जब उसे लागू करने का अवसर आया, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी हाथ खड़े कर दिए। स्वामी करपात्री के नेतृत्व में वे सवर्ण महिलाएं भी आंबेडकर के विरोध में खड़ी हो गईं, जिन्हें वे संपत्ति में अधिकार दिलाना चाहते थे, बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाकर सौतों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। प्रसूति अवकाश, मजदूर महिलाओं के बच्चों के लिए पालनागृह, न्यूनतम मजदूरी कानून, काम और अवकाश के घंटों का उन्होंने निर्धारण किया था। वह खदानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति का अध्ययन करने खदानों तक में गए। स्त्री-पुरुष, दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था उनके समतावादी विचारों का व्यावहारिक रूप थी।

दूरदर्शी आंबेडकर ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, क्योंकि वह समझ चुके थे कि भारत में दलितों को पढ़ाई के बगैर न तो आजादी मिलेगी और न ही सामाजिक बुराइयों से मुक्ति। डॉ. आंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान संविधान के निर्माण के क्षेत्र में है। संविधान के जरिये वह कमजोर वर्गों के अधिकार संरक्षित करना चाहते थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आंबेडकर ने संविधान की एक भी पंक्ति नहीं लिखी। जबकि तथ्य बताते हैं कि संविधान का निर्माण करने वाली सात सदस्यों की कमेटी के एक सदस्य ने त्यागपत्र दिया, दूसरे का देहांत हो गया, तीसरे अमेरिका चले गए,चौथे रियासत के कामकाज में व्यस्त दिल्ली से दूर रहने व अस्वस्थ होने के कारण अनुपस्थित रहे। वैसे में सारा भार मसौदा कमेटी के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर को ही उठाना पड़ा।

संविधान है, तभी आज एससी/एसटी उत्पीड़न निवारण ऐक्ट को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, दो सौ पॉइंट रोस्टर के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर्स की नियुक्तियों में भागीदारी के लिए एससी/एसटी और ओबीसी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज इस संविधान पर ही सबसे अधिक संकट मंडराता दिख रहा है। आंबेडकर का गुणगान करने वाली सरकारें भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था की हत्या कर निजी क्षेत्रों को शिक्षा का खुला व्यवसाय करने की छूट देती हैं। दलितों-आदिवासियों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही हैं। निजी क्षेत्र को सस्ती जमीन और कर्ज दे कर उन्हें समृद्ध किया जाता है, जबकि विशाल भारत शिक्षा और रोजगार हासिल करने से वंचित रह जाता है। इस तरह संविधान की प्रस्तावना में की गई संकल्पना के ठीक उलट काम किया जाता है और फिर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जय-जयकार की जाती है।

दो घोषणापत्रों की कहानी

भाजपा का घोषणापत्र उस तमिल ज्ञान की तरह है, जिसमें सुबह के नाश्ते में बच गई इडलियों से रात के भोजन के लिए उपमा बना लिया जाए! वहीं कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने के 12 दिन बाद भी चर्चा में है।

पी चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय मंत्री

आठ अप्रैल को बिना किसी शोर-शराबे के भाजपा का घोषणापत्र जारी किया गया। भाजपा के लिहाज से ऐसी सादगी अस्वाभाविक थी! भाजपा को ऐसी सादगी दिखानी पड़ी। भाजपा का घोषणापत्र उस तमिल ज्ञान की तरह है, जिसमें सुबह के नाश्ते में बच गई इडलियों से रात के भोजन के लिए उपमा बना लिया जाए!

वैसे एक कहावत है कि हलवे का स्वाद तो खाने से ही पता चलता है। कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किए जाने के 12 दिन बाद भी चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी अपना कोई भी भाषण कांग्रेस के घोषणापत्र के किसी न किसी पहलू की चर्चा किए बिना खत्म नहीं करते। वह इसे पढ़ने से इनकार करते हैं, इसके आधार पर निर्देश देने से इनकार करते हैं और झूठ बोलने से कतराते नहीं। मैं कामना करता हूं कि भाजपा में किसी में तो यह हिम्मत हो कि वह प्रधानमंत्री को कांग्रेस का घोषणापत्र या कम से कम मेरा आलेख पढ़ने को राजी करे।

भाजपा का अहंकार

भाजपा का घोषणापत्र जारी किए जाने के एक दिन बाद ही चर्चा से गायब हो गया। अनुवाद और टाइपिंग की गलतियों को नजरंदाज भी कर दें, तो कोई कैसे इस पूरे दस्तावेज में व्याप्त अहंकार को नजरंदाज कर सकता है?

अहंकार की इस सूची पर जरा गौर करें :

■ पचास करोड़ भारतीयों को आयुष्मान भारत की मेहरबानी से स्वास्थ्य बीमा मिला (तथ्य : आयुष्मान भारत सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित है और चार फरवरी, 2019 तक सिर्फ 10,59,693 लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती कर इस योजना के तहत उनका इलाज किया गया।)

■ अब असंगठित क्षेत्र के चालीस करोड़ से अधिक लोग पेंशन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं (तथ्य : योजना के तहत सिर्फ 28,86,659 लोगों ने ही पंजीयन कराया है। इसके तहत पहला भुगतान 2039 से शुरू होगा। किसी को भी न तो अभी और न ही निकट भविष्य में इसका लाभ मिलने वाला है।)

■ अब हम 99 फीसदी स्वच्छता हासिल करने के करीब हैं (तथ्य : इस बात के व्यापक प्रमाण मौजूद हैं कि हड़बड़ी में बड़ी संख्या में बनाए गए शौचालयों का या तो उपयोग नहीं किया गया है या फिर वे उपयोग (पानी की कमी के कारण) के लायक नहीं हैं। इसके अलावा आप बेजवाड़ा विल्सन से पूछिए, तो वह आपको बताएंगे कि यह योजना इस तरह तैयार की गई है, जिससे सेप्टिक टैंक और सिर पर मैला ढोने का काम जारी रहेगा।)

■ मुद्रा योजना की मेहरबानी से अब छोटे शहरों के युवाओं के लिए उद्यमी बनना आसान हो गया है। (तथ्य : औसत मुद्रा ऋण 47,575 रुपये तक का है और यह ऋण कोई रोजगार पैदा कर दे, तो यह वाकई एक बड़ा चमत्कार होगा।)

■ पूर्वोत्तर अब कई तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा के करीब पहुंच गया है। (तथ्य : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता (संशोधन) बिल ने पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग-थलग कर दिया है और शेष भारत से उनका फासला बढ़ गया है और इन्होंने आज इतना अविश्वास पैदा कर दिया है, जैसा पहले कभी नहीं था।)

■ नोटबंदी, जीएसटी... ये हमारी सरकार की कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। (तथ्य : नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया और त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने व्यापार और विशेषरूप से एमएसएमई को बर्बाद कर दिया।)

व्यक्ति केंद्रित बनाम जन केंद्रित

ऊपर बताए गए उदाहरण ही पर्याप्त हैं। अब जरा घोषणापत्र तैयार किए जाने की प्रक्रिया पर गौर करें। घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया कि समिति ने करोड़ों लोगों से संपर्क किया और यह दस्तावेज लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित है। यहीं कांग्रेस के घोषणापत्र और भाजपा के घोषणापत्र के बीच अंतर निहित है और जैसे ही हम दोनों पार्टियों द्वारा किए गए वादों पर गौर करते हैं, तो यह अंतर और स्पष्ट रूप से नजर आता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गौर कीजिए। भाजपा ने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और रक्षा उपकरणों के स्वदेश निर्मित उत्पादन को बढ़ाने का वादा किया है। हर सरकार यह काम करती है और भविष्य में भी करेगी। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंडल या राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) या नेटग्रिड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा या फिर कारोबारी मार्गों की सुरक्षा का जिक्र नहीं है।

कृषि पर गौर करें। भाजपा ने किसानों की आय दोगुना करने के अपने अधूरे वादे को फिर दोहराया है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई खाका नहीं पेश नहीं किया है। कांग्रेस ने एपीएमसी ऐक्ट को निरस्त करने, किसानों का बाजार स्थापित करने और कृषि उत्पाद से संबंधित कारोबार को, जिसमें निर्यात और अंतरराज्यीय व्यापार शामिल है, हर तरह के प्रतिबंधों से मुक्त करने जैसे साहसी उपाय करने का वादा किया है।

स्कूली शिक्षा पर गौर करें। भाजपा ने पहले की तरह गुणवत्ता पर जोर, स्मार्ट क्लासरूम और नए केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोलने का वादा किया है। कांग्रेस ने स्कूली शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने, शिक्षा के अधिकार को लागू करने, शिक्षा पर आवंटन को बढ़ाकर जीडीपी का छह फीसदी तक करने और नौवीं से बारहवीं कक्षा तक व्यावसायिक प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से शामिल करने का वादा किया है।

गणित की गुत्थी

दोनों घोषणा पत्रों के हर पन्ने में नजर आने वाले अंतर का सबसे बड़ा कारण मोदी केंद्रित नजरिये और जन केंद्रित नजरिये का अंतर है। भाजपा का घोषणापत्र मोदी के ज्ञान और विद्वान पुरुषों और स्त्रियों को न सुनने की उनकी अनिच्छा तक सीमित है। मैं अपनी बात गणित की एक गुत्थी से खत्म करूंगा। भाजपा ने कांग्रेस के 'न्याय' के वादे पर हमला किया है और कहा है कि पांच करोड़ परिवारों को कवर करने वाले इस कार्यक्रम के लिए एक साल में होने वाला 3.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च अव्यावहारिक है और वित्तीय रूप से गैरजिम्मेदार है। इसके बावजूद भाजपा विश्वास के साथ दावा करती है कि वह पांच वर्ष में कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सौ लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। 25 लाख करोड़ और 100 लाख करोड़ रुपये का योग 125 लाख करोड़ रुपये हुआ और इसे पांच से विभाजित करें तो यह प्रति वर्ष 25 लाख करोड़ रुपये होगा। तो इसमें बड़ा कौन हुआ 3.6 लाख करोड़ या 25 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष?

Licensed by The Indian Express Limited

पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक

अंतर्विरोधी और पेचीदा कानूनी व्याख्याओं में पैतृक संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार का मामला आज तक उलझा हुआ है, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या फैसला सुनाता है।

हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में हुए संशोधन के बावजूद बेटियों के संपत्ति में अधिकार का मामला अंतर्विरोधी और पेचीदा कानूनी व्याख्याओं में उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार नौ सितंबर, 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरे फैसले के हिसाब से मिलेगा। कानून में भी यह व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी कि अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर, 2004 से पहले हो चुका है, तो उस पर यह संशोधन लागू नहीं होगा। इस विसंगतिपूर्ण स्थिति के कारण अब यह मामला पांच दिसंबर, 2018 को तीन जजों की पूर्णपीठ (न्यायमूर्ति अर्जन सीकरी, अशोक भूषण और एम आर शाह) को भेजा गया है, जो अभी विचाराधीन है। मीडिया के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अनेक लोग यह मानते हैं कि अब तो मां-बाप की संपत्ति में बेटे-बेटियों को बराबर हक मिल गया है। पति की कमाई में भी पत्नी को आधा अधिकार है। कहां है भेदभाव? बेटे-बेटियों या पत्नी को मां-बाप या पति के जीवित रहते संपत्ति बंटवारे का अधिकार नहीं और क्यों हो अधिकार? बेशक बेटी को पिता-माता की संपत्ति में अधिकार है, बशर्ते मां-बाप बिना वसीयत किए मर जाएं। वैसे जिनके पास संपत्ति है, वह बिना वसीयत कहां मरते हैं! वसीयत में बेटी को कुछ दिया, तो उसे वसीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर वसीयत पर विवाद हुआ (होगा) तो बेटियां बरसों कोर्ट-कचहरी करती रहेंगी।

अरविंद जैन

वरिष्ठ वकील

सही है कि कोई भी व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) स्वयं अर्जित संपत्ति को वसीयत द्वारा किसी को भी दे सकता है। जरूरी नहीं कि परिवार में ही दे, किसी को भी दान कर सकता है। निस्संदेह पत्नी-पुत्र-पुत्री को पिता-पति के जीवनकाल में, उनकी संपत्ति के बंटवारे का कानूनी अधिकार नहीं। मुस्लिम कानूनानुसार अपनी एक तिहाई संपत्ति से अधिक की वसीयत नहीं की जा सकती। हिंदू कानून में पैतृक संपत्ति का बंटवारा संशोधन से पहले सिर्फ मर्द उत्तराधिकारियों के बीच ही होता था। पुत्र-पुत्रियों से यहां अभिप्राय सिर्फ वैध संतान से है। अवैध संतान केवल अपनी मां की ही उत्तराधिकारी होगी, पिता की नहीं। वैध संतान वह है, जो वैध विवाह से पैदा हुई हो। वसीयत का असीमित अधिकार रहते उत्तराधिकार कानून अर्थहीन है।

संशोधन से पहले पैतृक संपत्ति का सांकेतिक बंटवारा पिता और पुत्रों के बीच होता था और पिता के हिस्से में आई संपत्ति का फिर से बराबर बंटवारा पुत्र-पुत्रियों (भाई-बहनों) के बीच होता था। इसे सरल ढंग से समझाता हूं। संशोधन से पूर्व मान लें कि तीन पुत्र और दो पुत्रियां थीं और पिता के हिस्से आई पैतृक संपत्ति 100 रुपये की थी, तो यह माना जाता था कि अगर बंटवारा होता, तो पिता और तीन पुत्रों को 25-25 रुपये मिलते। फिर पिता के हिस्से में आए 25 रुपयों का बंटवारा तीनों पुत्रों और दोनों पुत्रियों के बीच पांच-पांच रुपये बराबर बांट कर किया जाता। मतलब तीन बेटों को 25+5=30×3=90 रुपये और बेटियों को 5×2=10 रुपये मिलते। संशोधन के बाद पांचों भाई-बहनों को 100÷5=20 रुपये मिलेंगे या मिलने चाहिए। अधिकांश 'उदार बहनें' स्वेच्छा से अपना हिस्सा अब भी नहीं लेतीं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा छह में (नौ सितंबर, 2005 से लागू) प्रावधान किया गया है कि अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर, 2004 से पहले हो चुका है, तो उस पर यह संशोधन लागू नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया है कि अगर संशोधन कानून लागू होने के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना कोई वसीयत किए हो गई है और संपत्ति में पैतृक संपत्ति भी शामिल है, तो मृतक की संपत्ति में बेटे और बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा। ध्यान दें कि बेटियों को पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में ही नहीं, बल्कि पिता की पैतृक संपत्ति में से भी जो मिला या मिलेगा उसमें भाइयों के बराबर अधिकार मिलेगा। बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार जन्म से मिले या पिता के मरने के बाद, इस पर विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

जिन बेटियों के पिता का नौ सितंबर, 2005 से पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, उन्हें प्रकाश बनाम फूलवती (2016 (2) एससीसी 36) केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (19 अक्तूबर, 2015) के अनुसार संशोधित उत्तराधिकार कानून से कोई अधिकार नहीं मिलेगा! लेकिन दनम्मा उर्फ सुमन सुरपुर बनाम अमर केस (2018 (1) scale 657) में सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी खंडपीठ ने अपने निर्णय (एक फरवरी, 2018) में कहा कि बेटियों को संपत्ति में अधिकार जन्म से मिलेगा, भले ही पिता की मृत्यु नौ सितंबर, 2005 से पहले हो गई हो। पर इस मामले में बंटवारे का केस 2003 से चल रहा था।

मंगामल बनाम टी बी राजू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय (19 अप्रैल, 2018) में फूलवती निर्णय को ही सही माना और स्पष्ट किया कि बंटवारा मांगने के समय पिता और पुत्री का जीवित होना जरूरी है। लगभग एक माह बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में 15 मई, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए अंतर्विरोधी और विसंगतिपूर्ण स्थिति का नया आख्यान सामने रखा। फूलवती केस को सही मानते हुए अपील रद्द कर दी, मगर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विशेष अनुमति/प्रमाण पत्र भी दिया, ताकि कानूनी स्थिति तय हो सके। इन निर्णयों से अनावश्यक रूप से कानूनी स्थिति पूर्ण रूप से अंतर्विरोधी और विसंगतिपूर्ण हो गई है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।